15-3-18 वकील उभयपक्ष उपस्थित साक्ष्य वादी हेतु समय चाहा। पूर्व में पर्याप्त अवसर दिये जाकर अन्तिम अवसर भी दिया जा चुका है। साक्ष्य पेश नहीं करने से साक्ष्य वादी बंद की जाती है। पत्रावली वास्ते साक्ष्य प्रतिवादी दिनांक 25-4-18 को पेश हो।

25-4-18 वकील उभयपक्ष उपस्थित साक्ष्य प्रतिवादी हेतु समय चाहा। पत्रावली वास्ते साक्ष्य प्रतिवादी दिनांक 05-6-18 को पेश हो।

05.06.2018 उभयपक्ष के अधिवक्ता उपस्थित प्रतिवादी के अधिवक्ता द्वारा साक्ष्य पेश नहीं करनें के कारण साक्ष्य प्रतिवादी बन्द किये जाकर उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन पाया कि जमाबन्दी में चक 2 एल. बडा के खाता सख्या 78/70 की 3.3110 हैक्टर भूमि लखासिंह पुत्र धुमासिंह कौम मजबीसिख के नाम से दर्ज हैं। लखासिंह के फौत होने पर उसके वारिसान के नाम से दर्ज हुई है। भूमि अभी संयुक्त खाते में हैं। वादीगण कानूनी रुप से भूमि में अपना हक हिस्सा साबित नहीं कर सका है साथ कब्जे के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य पेश नहीं किये। ऐसी अवस्था में प्रकरण वादीगण के पक्ष में साक्ष्य के अभाव में सिद्व नहीं होनें के कारण वादीगण का वाद पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 91, 188, 92ए के अर्न्तगत पोषणीय नहीं पाये जानें के कारण वर्तमान स्तर पर खारिज किया जाता है।

पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिंनाक 05.06.2018 को लिखवाया जाकर न्याय आपके द्वार अभियान 2018 के अन्तर्गत ग्राम मटीली राठान में आयोजित राजस्व लोक अदालत के मजमे आम में सुनाया गया।

(यशपाल आहूजा)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
श्रीगंगानगर